न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री/टी.ए./2005/3290/जोधपुर

1– श्रीमती अणची देवी बेवा उदाराम
2– हरिराम)
3– मनमतराम) पिसरान उदाराम
4– अर्जुनराम)
5– माहेनराम)
समस्त जाति जाट निवासी ग्राम माणकलाल व तहसील एवं जिला जोधपुर।
6– श्रीमती अरूणा पुत्री उदाराम पत्नि भीकमचन्द जाति निवासी ग्राम भदवासिया फाटक के पास, जोधपुर।
7– श्रीमती रतन पुत्री उदाराम पत्नि सांगाराम जाट, निवासी ग्राम भदवासिया फाटक के पास, जोधपुर।

.....अपीलान्टस

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जोधपुर।

.....रेस्पोडेन्ट

खण्ड–पीठ
श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य
श्री गणेश कुमार, सदस्य

उपस्थित :–
श्री कृष्ण कुमार पुरोहित, अभिभाषक अपीलान्टस
श्री ओ.पी. भट्ट, उप राजकीय अभिभाषक

दिनांक : 13 अगस्त, 2021

निर्णय

1– उपर्युक्त अपील धारा–224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 4–3–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण ने प्रतिवादी के विरूद्ध एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत सहायक कलेक्टर, जोधपुर के यहां पर आराजी खसरा नम्बर–132 रकबा 34 बीघा में से 16 बीघा भूमि स्थित ग्राम माणकलाव व पड़ौस बताते हुये पेश कर निवेदन किया कि उक्त भूमि पर संवत 2009 से आज तक वादीगण खातेदार काश्तकार की हैसियत से काबिज काश्त चले आ रहे हैं एवं राज्य सरकार को लगान देते आ रहे हैं, किन्तु उनका नाम राजस्व रिकार्ड में नहीं किया गया। उक्त भूमि में से 7 बीघा 10 बिस्वा का आबंटन अपीलान्ट को कर दिया गया। जबकि वादी का सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा काश्त है। बकाया 8 बीघा 10 बिस्वा भूमि राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम दर्ज नहीं होने से प्रतिवादी उसे बेदखल करने पर आमादा हो रहा है जबकि मौके पर उसका कमरा बना हुआ है एवं फसल खड़ी है। प्रतिवादी धारा–91 के तहत नोटिस देकर बेदखल करने पर आमादा हो रहा है। इस कारण यह वाद प्रस्तुत करना पड़ रहा है एवं अन्त में वाद को डिक्री करने का निवेदन किया। प्रतिवादी द्वारा जवाबदावा नहीं देने पर बन्द किया गया। वादी की ओर से दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पेश की गयी। विद्वान सहायक कलेक्टर, जोधपुर ने अपने निर्णय दिनांक 5–5–2003 के द्वारा वादी का दावा निरस्त फरमा दिया, जिसके विरूद्ध वादीगण / अपीलान्ट ने प्रथम अपील विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के न्यायालय में पेश की गयी, जो निर्णय एवं डिक्री दिनांक 4–3–2005 के द्वारा निरस्त कर दी गयी। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने माननीय न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की है।

3– बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

4– अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालयों ने सारी कार्यवाही एकपक्षीय विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 जब प्रभाव में आया था उस दिन अपीलान्ट का भूमि मुतनाजा पर टीनेन्ट की हैसियत से कब्जा था जो कि राजस्व रिकार्ड एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत भूमि मुतनाजा की लगान की रसीदों से प्रमाणित है। फिर भी उसको खातेदारी नहीं देने से हर दो अदालत मातहत ने कानूनी भूल की है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का समुचित विश्लेषण व विवेचन किये बगैर अपीलान्ट के विरूद्ध फैसला करने में

कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर का निर्णय व डिक्री दिनांक 4–3–2005 एवं विद्वान सहायक कलेक्टर, जोधपुर का निर्णय व डिक्री दिनांक 5–5–2003 को निरस्त किया जाकर वादी अपीलान्ट का दावा डिक्री फरमाया जावे।

5– विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने बहस का जवाब देते हुये कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर–132 सिवायचक भूमि है। उक्त भूमि के कुछ हिस्से पर अपीलार्थीगण के पूर्वज उदाराम पुत्र केसूराम जाट का कब्जा बतौर अतिक्रमी रहा है। अतिक्रमण के आधार पर खातेदारी देने का कोई प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में नहीं है। अपीलार्थीगण को 7 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आबंटन पूर्व में ही किया जा चुका है। अब अतिक्रमण के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं। विद्वान उपखण्ड अधिकारी / सहायक कलेक्टर, जोधपुर एवं विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के निर्णय दिनांक क्रमशः 5–5–2003 एवं 4–3–2005 विधिसम्मत, तर्कसंगत व न्यायसंगत निर्णय हैं। अपील में सारभूत तथ्य नहीं होने के कारण यह अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

6– हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

7– पत्रावली के अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि ग्राम माणकलाव में स्थित आराजी खसरा नम्बर–132 रकबा 34 बीघा 16 बिस्वा जमाबन्दी संवत 2049 के अनुसार सरकारी भूमि दर्ज है। पत्रावली में संलग्न खसरा गिरदावरी संवत 2014 में काश्त के कॉलम में अपीलार्थीगण के पूर्वज उदाराम का नाम दर्ज है। इसके पश्चात खसरा परिवर्तनशील में बतौर अतिक्रमी के रूप में नाम दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अनुसार खातेदारी अधिकार तभी मिल सकते हैं जब संवत 2012 की जमाबन्दी में नाम दर्ज हो। चूंकि जमाबन्दी में अपीलार्थी का नाम दर्ज नहीं था इसलिये इन्हें खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। अतिक्रमण एवं विपरीत कब्जे के आधार पर खातेदारी देने का कोई प्रावधान नहीं है। अपीलार्थीगण को पूर्व में ही 7 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आबंटन किया जा चुका है। विपरीत कब्जे के आधार पर खातेदारी देने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिये विद्वान उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर ने विधिसम्मत

तरीके से वाद निरस्त किया है। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर ने भी प्रथम अपील निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है। इस अपील में भी कोई सारभूत व महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। इसलिये यह अपील खारिज किये जाने योग्य है।

8– अतः हस्तगत् अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गणेश कुमार)
सदस्य

(हरि शंकर गोयल)
सदस्य